

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0प्र0  
(सम्पत्ति अनुभाग)  
लखनऊःदिनांकः 05 अप्रैल, 2022

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,  
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2. अपर निदेशक(प्रशिक्षण),  
वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,  
लखनऊ।

**विषय :** वाणिज्य कर विभाग की विभागीय परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 04.04.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा वाणिज्य कर कार्यालय भवन, बाराबंकी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टिप्पणी अलग से जारी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कमिशनर(प्रशासन), वाणिज्य कर, बाराबंकी के द्वारा यह सज्ञान में लाया गया कि कार्यालय भवन के बगल में गाटा संख्या-457 मि0 क्षेत्रफल 0.260 हे0 भूमि वाणिज्य कर विभाग की है। विभाग को आवंटित भूमि का जुड़ा भाग रिक्त है।

इसी भूमि पर श्री अशोक कुमार वर्मा बनाम गोविन्द प्रसाद आदि ने गलत व असत्य तथ्यों के अधार पर विभाग की रिक्त भूमि को गाटा संख्या-461/2 दिखा कर अवैध रूप से मा0 न्यायालय सिविल जज सी0डी0 कोर्ट नं0-20, बाराबंकी से आदेश करा कर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसपर विभाग की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, बाराबंकी के माध्यम से पक्षकार बनाकर उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु वाद संख्या-629/21 प्रस्तुत किया गया है। तत्काल मेरे द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी से दूरभाष पर वार्ता की गयी। भूमि पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के निर्देश दिये गये।

इस क्रम में निर्देशित किया जा रहा है कि अपने जोन में स्थित विभागीय सरकारी भवन, भूमि/प्रॉपर्टी का चिन्हांकन कर लें, यदि खाली पड़ी है, तो तत्काल बाउण्ड्रीवाल करा लें। बजट की उपलब्धता कम हो तो वार्ड(कंटीला तार) लगायें। उक्त सरकारी सम्पत्ति(भूमि) पर विभाग का बोर्ड अवश्य लगा दें। यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो तत्काल जिलाधिकारी को पत्र के द्वारा अवगत करायें, जिसकी प्रति मुख्यालय को भी दें। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी स्थापित करें।

*०५।५।२०२२*  
(मिनिस्त्री एस0)

कमिशनर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।  
/

### पू0प0सं0 व दि0 उक्त।

**प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. ज्वाइंट कमिशनर(स्थानीय अराज0 / प्रभारी नजारत), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2. ज्वाइंट कमिशनर(आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

*(सुधा वर्मा)*  
एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,  
प्रभारी-एडीशनल कमिशनर(प्रशासन), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।